

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
46/18	88/188 RCP	आ-कोली	होण्डा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मोहम्मद अली खान	बनाम	हरि नारायण	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

11/6/18
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/7/18 को पेश हो।
 रिडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),
 27/6/18

27/6/18
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/7/18 को पेश हो।
 रिडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),

25/7/18
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/7/18 को पेश हो।
 रिडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),

25/3/19
 पत्रावली जिला हुडी प्रीमियर P.O भारत राममार्थ से बहर प्यार है आंधरा बहने तब की पत्रावली दिनांक 15/4/19 को पेश हो।

15/4/19
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/5/19 को पेश हो।
 रिडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),

21/5/19
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/6/19 को पेश हो।
 रिडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),



आज पीनारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिश्ति में दिनांक 3-6-24 को पेश हो।

14
शेखर

न्यायालय सप्लाइ अधिकारी
छवड़ा (बारा)

3-6-24

आज पीनारीन अधिकारी के अन्य कार्य में सुगास कार्य व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिश्ति में दिनांक 29-2-24 को पेश हो।

14
शेखर

न्यायालय सप्लाइ अधिकारी
छवड़ा (बारा)

9-7-24

अभिभाषक कारी द्वारा जर्नल पत्र 023 R1 एवं पत्र 151 CPC पेश करते हुए पत्रावली काग पेश हुई। वकील कारी का कहना है कि कारी गण द्वारा प्रस्तुत कांड पत्र से कुछ काबूनी आये हैं के कारण कारी गण उक्त कांड पत्र को विद्वे कराना चाहते हैं वकील कारी को कुछ गण पत्रावली एवं रिकार्ड का क्लेफिग किया गया। कारी का जर्नल पत्र स्वीकार किया गया है कारी का कांड इसी लेख पर विद्वे किया जाय है। पत्रावली केवल कुछ केवल कांड नामीसु वकील के दायरे में दायरे में है।

